

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क. एफ 19-5/2015/12/2

भोपाल, दिनांक 19/05/17

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले,
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा।


जिला खनिज प्रतिष्ठान के संबंध में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 दिनांक 28.07.2016 से अधिसूचित किये गये हैं। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को इस अधिसूचित नियम में शामिल किया गया है। भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की समीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित District Development Co-ordination and Monitoring Committee (DISHA) द्वारा की जाए।

अतः उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यों की समीक्षा जिला स्तर पर गठित District Development Co-ordination and Monitoring Committee (DISHA) द्वारा भी की जाए।

(जे. पी. श्रीवास्तव)

अवर सचिव

शासन, खनिज साधन विभाग



D:\COVERING LETTER FOR LEASING EXTER.DOCX

JD
E-Khany के रिप्ट 12/17/17

U.P. Singh
22/5/17


IT head

20/5/17

क. एफ 19-5/2015/12/2

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की ओर माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराने हेतु कृपया प्रेषित।
2. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 16/13/2017/एम-चार दिनांक 17.02.2017 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त जिले, मध्यप्रदेश, उपरोक्त निर्देश का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग